राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 28/2023 अपील

1. इमामुदीन आत्मज भूरे खां निवासी पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
2. शौकत अली आत्मज मिठ्ठू खांनिवासी पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
3. अनवर हुसैन आत्मज मिठ्ठू खां निवासी पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. छोटी बानु पुत्री पीरशाह निवासी पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा हाल मुकाम मारूति नगर, भीलवाड़ा
2. नूरजहां पुत्री पीरशाह निवासी पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा हाल मुकाम मारूति नगर,भीलवाडा
3. वाहीदन बानु पुत्री पीरशाह निवासी पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा हाल मुकाम गुलजार नगर, भीलवाड़ा
4. हुसैनी बानु पुत्री पीरशाह निवासी पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा हाल मुकाम नई आबादी हमीरगढ जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा जारी नामान्तरण आदेश संख्या 9487 दिनांक 26/04/2022

उपस्थित –

1. श्री अम्बालाल कुमावत अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री मांगीलाल सेन अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 1 से 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक 25.11.2025

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पुर, पटवार हल्का पुर, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित खाता संख्या 1314 के खसरा संख्या 5471 रकबा 0.1517, 9436/5468 रकबा 0.1664, कुल किता 2 कुल रकबा 0.3161 हेक्टेयर अपीलार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी होकर उक्त आराजी जमाल शॉह से विरासत में प्राप्त हुई है। अपीलार्थीगण के दादा जमाल शॉह होकर उनके दो पुत्र इमामुदीन और मिठ्ठू खां हुये है। मिठू शाह की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिस अपीलार्थी संख्या 2 व 3 है लेकिन उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही को गलत तौर पर पीर

25.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

शांह पुत्र जमाल के नाम से इन्द्राज की प्रविष्टि करते हुए रेस्पोडेट्स संख्या 01 लगायत 04 के नाम पर विवादीत नामान्तरण विधि विरूद्ध तरिके से खोला गया, जबकि उपरौक्त वर्णित आराजी अपीलार्थी को विरासत में जमाल शाह पिता अली महमद शाह से प्राप्त हुई है और जमाल शाह के पीर शाह के नाम का कोई जायन्दा लड़का था ही नही और जो रेस्पोडेन्ट सख्या 1 से लगायत 03 का पिता पीर शाह वल्द नजीर शाह अलग व्यक्ति है, लेकिन गलती से उक्त नामान्तरण अपीलान्ट की आराजी में विधि विरूद्ध तरीके से खोला गया जो नामान्तरण विधि विरूद्ध एवं प्रारम्भ से शुन्य व अकृत होकर अवैध हैं। उक्त आराजी जमाल शॉह पुत्र अली महमद शाह के कोई जाइन्दा लडका नहीं होने से अपीलार्थी सख्या 02 व 03 के पिता मिठु शाह को गोद लिया, इस कारण से उक्त आराजी अपीलान्ट को विरासत में प्राप्त हुई है। लेकिन जमाल शाह के कोई जाईन्दा लडका नही होने से मिठठू खा को गोद लिया एंव भूरे खा के पीर शाह जो अविवाहित ही फौत हो गये थे व अपीलार्थी सख्या 1 इमामुदीन जो भुरे खा का लडका है लेकिन उक्त विवादित नामान्तरण में जमाल शाह के पिर शाह के नाम से नामान्तरण खोला गया, जबकि उक्त पिर शाह नजीर साहब के लडके हैं एंव भुरे खा के लडके पिर शाह जो अविवाहित होकर 15 वर्ष की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो चुकी है इस कारण से उक्त विवादित नामानतरण विधि विरुद्ध तरीके से गलत व्यक्ति के नाम से खोला गया जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलार्थीगण को उक्त नामान्तकरण की जानकारी प्रथम बार पटवार हल्का से जमाबंदी की नकल लेने की दिनांक 29.04.20223 को हुई। जानकारी एवं नकल लेने की दिनांक से अन्दर अवधि पेश है। लेकिन उक्त नामान्तरण आदेश तहसीलदार भीलवाडा द्वारा दिनांक 26.04.2022 को स्वीकृत किया गया, जिसकी अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 30–4–23 तक के समय को कडोन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 05 का प्रार्थना पत्र मय शपथ अलग से प्रस्तुत है। जिसे मियाद में समायोजित कर अपील को श्रवणार्थ ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जावे। निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नामान्तरण संख्या 9487 दिनांक 26.04.2022 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थीगण के नाम पर उक्त आराजी का खाता पुनः खोला जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित फरमाया जावें।

प्रस्तुत अपील न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगणों को सम्मन नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 से 04 की ओर से जवाब पेश किया

25.11.25

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त विवादित नामान्तरण में जमाल शाह के पिर शाह के नाम से नामान्तरण खोला गया, जबकि उक्त पिर शाह नजीर साहब के लडके हैं एंव भुरे खा के लडके पिर शाह जो अविवाहित होकर 15 वर्ष की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो चुकी है इस कारण से उक्त विवादित नामानतरण विधि विरुद्ध तरीके से गलत व्यक्ति के नाम से खोला गया जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नामान्तरण संख्या 9487 दिनांक 26.04.2022 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थीगण के नाम पर उक्त आराजी का खाता पुनः खोला जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित फरमाया जावें।

विपक्षी संख्या 01 से लगायत 04 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 9487 दिनांक 26.04.22 को पटवारी द्वारा मृतक के वारिसान की जांच व तहकीकात कर विधिवत रूप से नामान्तरण स्वीकृत किया गया। जबकि अपील दिनांक 26.04.22 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई जो कि 1 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई जो मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अपीलार्थी ने अपील मेमो के साथ सजरा प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित नहीं होता है कि किस आधार पर तथाकथित नामान्तरण 9478 को निरस्त किए जाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:— पीर शाह पिता नजीरशाह जिसके वारिसान छोटी, नुरजहां, वहीदन, हुसैनी। विवादित भूमि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में पीरशाह पिता नजीरशाह के नाम पर दर्ज थी जो कि विरासत से उनकी पुत्रियों के नाम पर विधिवत दर्ज हुई है क्योंकि विरासत का नामान्तरण पीरशाह पिता नजीरशाह का खोला गया जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलार्थी गौदपुत्र के आधार पर अपना हक व हिस्सा

25.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्राप्त करना चाहता है जबकि मुस्लिम विधि में गोद का कोई प्रावधान नहीं है। निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज फरमाई जाए।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। जिस अनुसार पाया गया कि अपीलाण्ट ने अपील मेमों के साथ पारिवारिक सजरा पेश नही किया एवं दौराने बहस विपक्षी द्वारा शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत पारिवारिक सजरे के खण्डन में भी अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा पारिवारिक सजरा प्रमाणितशुदा पेश नही किया। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील में पारिवारिक सजरा सिद्ध नही करा पाये है। नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग होती हैं एवं म्यूटेशन अपील Summary Proceeding हैं, जिसके माध्यम से हक व अधिकार का निर्धारण नही किया जा सकता हैं। प्रार्थी घोषणात्मक वाद द्वारा ही सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.11.25

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा